न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :– 120/2018 निर्णय दिनांक 4-7-18

उनवान

1. रामकरण पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्र्राम रूपवास तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू।
2. रामनारायण
3. रामेश्वर
4. कजोड

समस्त पुत्रान कल्याण जाति जाट निवासी रूपवास तहसील चाकसू जिला जयपुर।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाने

प्रार्थी ग्र्राम रूपवास तहसील चाकसू के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 114, 115, 116 कुल किता 3 जो वाके ग्राम रूपवास तहसील चाकसू मे स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद करवाने हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को [illegible]या तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए बताया कि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 09.05..2019 को कराया जा चुका है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:53:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

वकील प्रार्थीया की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो प्रार्थिया की भूमि पत्थर गढी करवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा जिसके आराजी खाता संख्या 114, 115, 116 कुल किता 3 जो वाके ग्राम रूपवास तहसील चाकसू की पत्थरगढी प्रार्थी व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:53:22 IST
Reason: SelfAttested